

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

18.10.22

पत्रावली पेश। अपील अपीलांत 39।  
 सेमा-2 का क्वेटिफ क्वेटिफ नसीन डाया  
 को इन: लही पत घट पेश करो पेश हो  
 पर जारी हो। सेमा. 1, 3, 4, 5 के क्वेटिफ  
 रति-100 के किजवापत जप्त 30 दिवक में  
 क्वेटिफ का लप हो चुका है। का न  
 मूल जापा एव का ही काद नसीन  
 होकर जापा। व्यासदिन न सेमा. 1, 3, 4, 5  
 की नसीन जारी जारी है। वास्तु नसीन  
 दिनांक 14.11.22 का पेश हो



14.11.22

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामीन खेव है।  
 इस हेतु अपीलांत होव रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस  
 आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। नाकि  
 अपील का शीघ्रानिरीघ निस्तारण किया जा सकें  
 पत्रावली बास्ते तलवी रिकार्ड दिनांक 2...1...23 को  
 पेश हों।

2.1.23

पत्रावली पेश। अपीलांत/रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने  
 जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश  
 के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण  
 में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया  
 जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो  
 चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण  
 न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह  
 अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील  
 अपीलांत प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है।। निर्णय  
 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर  
 नम्बर से कम होकर बाव तरजीब तकमील दाखिल  
 दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव  
 पदेन राजरव अपील अधिकारी  
 सीकर

मूलवाद खारिज  
 हो चुका है  
 (in 3m)  
 2  
 2.1.2023

अधीनस्थ अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी  
 अधीनस्थ अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी  
 अधीनस्थ अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी